रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2008/ज्येष्ठ 29, 1930
No. 836] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2008/JYAISTHA 29, 1930

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2008

का.आ. 1499(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 2008 है ।

(2) इस स्कीम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह स्कीम 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों को लागू होगी, जो 1 अगस्त, 2002 को या उसके पश्चात् कम्पनी के विकास अधिकारी कादर में पूर्णकालिक कर्मचारी थे :

परंतु ऐसा विकास अधिकारी, जिसका 1 अगस्त, 2002 से राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार किया गया था या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसा विकास अधिकारी, जिसने साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 के पैरा 15ग के अनुसार विशेष स्वैच्छया सेवा निवृत्ति पैकेज का विकल्प लिया था और जिसे इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व उसके अधीन कार्यमुक्त कर दिया गया है, आधार के रूप में इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षित वेतन को ध्यान में रखते हुए पैरा 15ग से संलग्न उपाबंध I के खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय अनुग्रह राशि की पुनःसंगणना और तदनुसार अंतर जारी किए जाने से भिन्न, इस स्कीम से उद्भूत होने वाले किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2. पैरा 3 का संशोधन :—साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में,—

(क) खंड (2) में, "अनुसूची च" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "अनुसूची छ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (13क) में, अंत में आने वाले, "निगम" शब्द के स्थान पर, "कंपनी" शब्द रखा जाएगा ।

3. पैरा 7क, पैरा 7ख और पैरा 7ग का प्रतिस्थापन :—उक्त स्कीम के पैरा 7क, पैरा 7ख और पैरा 7ग के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'7क. वेतनमान, नियतन की पद्धति और बकायों का संदाय :—(1) 1 अप्रैल, 2003 से ही, प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन और भत्ते अनुसूची छ के अनुसार होंगे ।

(2) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी का, जो 1 अप्रैल, 2003 को सेवा में था या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था, मूल वेतन, 1 अप्रैल, 2003 से या नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुसूची छ की मद-II के अनुसार नियत किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची छ की मद II के अनुसार नियत किया गया है, 1 अप्रैल, 2003 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से ही, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची छ के अधीन संदेय सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ते और अनुसूची च के अधीन संदत्त की गई राशि का अंतर, भविष्य निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय को काटने के पश्चात्, संदत्त किया जाएगा ।

7ख. साम्यापूर्ण सहायता :— पैरा 7क में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विकास अधिकारी को, जो 1 अगस्त, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान किसी समय सेवा में था, ऐसी सेवा की अवधि के लिए साम्यापूर्ण सहायता का संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यापूर्ण सहायता" पद से, यथास्थिति, अनुग्रहपूर्वक संदाय, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के पारिणामिक समायोजन सहित क्रमशः अनुसूची छ और अनुसूची च के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के योग के बीच का अंतर अभिप्रेत है ।

7ग. बकाया और साम्यापूर्ण सहायता का खर्च में समामेलन :— पैरा 7क और पैरा 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यापूर्ण सहायता को खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अधीन रहते हुए, संबंधित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे वे संबंधित हैं, विकास अधिकारी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को निष्पादन वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के लिए उसकी लागत में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा, जिसका वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के 90 दिन के भीतर चयन करे :

परंतु जहां विकास अधिकारी निष्पादन वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 में पूर्व वर्ष के लिए अपने खर्च के भाग के समामेलन के किसी विकल्प का इस प्रकार प्रयोग करता है, वहां निष्पादन वर्ष 2008-2009 के लिए उसे पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) की मद (iv) में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में 1% की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।'।

4. पैरा 13 का संशोधन :—उक्त स्कीम के पैरा 13 के उपपैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) ऐसे विकास अधिकारी को, जो विकास अधिकारी श्रेणी-1 को लागू पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि वह,—

(क) पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष में उक्त स्कीम के पैरा 11, पैरा 11क और पैरा 13 के अधीन अनुबंधित खर्च अनुपात को पूरा करता है ;

(ख) अन्यथा सामान्य श्रेणी वेतनवृद्धि लेने के लिए पात्र है ; और

(ग) उसका कार्य अभिलेख समाधानप्रद पाया जाता है,

ऐसी अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् निरंतर सेवा के प्रत्येक तीन संपूरित वर्षों के लिए उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, अधिकतम तीन ऐसी वेतनवृद्धियों के अधीन रहते हुए, मंजूर की जा सकेगी । ऐसी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी, इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत वेतनमान 4 की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी होगा :

परंतु तीसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, दूसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के पूरा होने पर या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मार्च की पहली तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, मंजूर की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "निरंतर सेवा" से असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़कर कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है ।'।

5. पैरा 16 का संशोधन—उक्त स्कीम के पैरा 16 के स्पष्टीकरण की मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(iv) अनुसूची छ के अनुसार 1 अगस्त, 2002 को प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए ।"।

6. पैरा 21क का संशोधन—उक्त स्कीम के पैरा 21क में,—

(क) उप पैरा (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उप पैरा के उपबंध, पैरा 13 के उप पैरा (3) के अनुसार, किसी विकास अधिकारी (प्रशासन) को वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियों की मंजूरी पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"।

(ख) उप पैरा (3) में, खंड (क) के अधीन मद (ii) में, "एक सौ पच्चीस रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

7. पैरा 22 का संशोधन—उक्त स्कीम के पैरा 22 में, अंत में आने वाले, "निगम" शब्द के स्थान पर, "कंपनी" शब्द रखा जाएगा ।

8. अनुसूची छ का अंत:स्थापन :—उक्त स्कीम की अनुसूची च के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'अनुसूची छ

[पैरा 3, पैरा 7क, पैरा 7ख, पैरा 11, पैरा 11क, पैरा 13, पैरा 15ख, पैरा 16 और पैरा 17 देखिए]

I. वेतनमान (मूल वेतन)

1. विकास अधिकारी श्रेणी-1 : 7850-485(8)-11730-500(9)-16230-525(2)-17280-540(4)-19440 रु0

2. विकास अधिकारी श्रेणी-2 : 5400-350(3)-6450-400(4)-8050 रु0

II. क. मूल वेतन का नियतन (वेतनमान में)—

प्रक्रम सं0	विकास अधिकारी, श्रेणी-1		विकास अधिकारी, श्रेणी-2	
	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5225	7850	3580	5400
2.	5510	8335	3810	5750
3.	5795	8820	4040	6100
4.	6080	9305	4270	6450
5.	6365	9790	4530	6850
6.	6650	10275	4790	7250
7.	6950	10760	5050	7650
8.	7250	11245	5310	8050

9.	7550	11730		
10.	7900	12230		
11.	8250	12730		
12.	8600	13230		
13.	8950	13730		
14.	9310	14230		
15.	9670	14730		
16.	10030	15230		
17.	10390	15730		
18.	10750	16230		
19.	11110	16755		
20.	11470	17280		
21.	11830	17820		
22.	12190	18360		
23.	12550	18900		
24.	12910	19440		

ख. मूल वेतन का नियतन (वृद्धिरुद्ध प्रक्रमों पर).—

प्रक्रम सं0	विकास अधिकारी, श्रेणी-1	
	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)
1.	13270	19980
2.	13630	20520

टिप्पण :—

1. "विद्यमान" पद से अनुसूची 'घ' के अनुसार यथा लागू मूल वेतन (जिसके अंतर्गत वृद्धिरुद्ध चरण भी है) अभिप्रेत है ।

2. ऐसे विकास अधिकारी का, जिसको स्कीम लागू होती है, मूल वेतन, 1 अगस्त, 2002 को संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान में तत्स्थानी चरण पर नियत किया जाएगा ;

परंतु ऐसे विकास अधिकारी श्रेणी-1 की बाबत, जिसके 1 जुलाई, 2002 को विद्यमान वेतनमान में एक या दो वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही मंजूर कर दी गई हैं, पुनरीक्षित वेतनमान में उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी पहले या दूसरे चरण पर नियत किया जाएगा ;

परंतु यह और कि तीसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि पात्र विकास अधिकारी, श्रेणी-1 को दूसरी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पश्चात्वर्ती मास की 1 तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मंजूर की जाएगी ।

III. महंगाई भत्ता :—

(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मान निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा :—

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(ख) आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक 2328

(ग) महंगाई भत्ते की दर :— 2328 प्वाईंट से अधिक त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाईंटों के लिए महंगाई भत्ते की संगणना मूल वेतन में 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

(घ) महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण :—महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक चार प्वाईंटों की वृद्धि या कमी के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जा सकेगा ।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 2328-2332-2336-2340 के अनुक्रम में 2328 प्वाईंट से ऊपर और इसी प्रकार प्रत्येक प्वाईंटों की वृद्धि के लिए संदेय महंगाई भत्ते का अर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक अंक से नीचे आ जाता है, जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा । अधोगामी पुनरीक्षण पर संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंक के समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में चालू औसत अंक के ठीक पूर्ववर्ती अंक के समान होगा ।

(3) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र में, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, यथा प्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़ें, ऐसे सूचकांक आंकड़ें होंगे, जिन्हें महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत आंकड़ें में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही के अंत से आगामी दूसरे उत्तरवर्ती मास से ही प्रभावी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'तिमाही' से क्रमशः मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर मास के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।

IV. मकान किराया भत्ता :—

(1) ऐसे विकास अधिकारियों, जिन्हें कंपनी द्वारा वास सुविधा आबंटित की गई है, से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर रहते हुए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर से होगा :

सारणी

क्रम सं0 (1)	तैनाती का स्थान (2)	दर प्रति मास (3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गाव और चैन्नई नगर	अधिकतम 1600/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 10%
2.	ऐसे शहर, जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, क्रम सं0 1 में वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधी नगर और गोवा राज्य के सभी नगर	अधिकतम 1350/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 8%

3.	सभी अन्य स्थान	अधिकतम 1300/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 7%

टिप्पण : 1. इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या आंकड़ें नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

2. नगरों के अंतर्गत उनकी नगर बस्तियां भी हैं ।

3. "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप पैरा (3) के अनुसार वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) ऐसा विकास अधिकारी, जिसे कंपनी द्वारा वास सुविधा आबंटित की गई है, उस वास सुविधा के लिए ऐसी उपयुक्त अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा, जो समय-समय पर कंपनी द्वारा विनिश्चित की जाए और किसी मकान किराए भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

V. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :–

1 अगस्त, 2002 से विकास अधिकारी को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं0 (1)	तैनाती का स्थान (2)	दर (3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुडगाव और चैन्नई नगर	अधिकतम 400/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 3%
2.	ऐसे शहर, जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, क्रम सं0 1 में वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधी नगर और गोवा राज्य के सभी नगर	अधिकतम 360/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5%
3.	ऐसे नगर, जिनकी जनसंख्या 5 लाख और अधिक है किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, ऐसी राज्य राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक नहीं है, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर	अधिकतम 300/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2%

टिप्पण :

(1) इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या आंकड़ें नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(2) नगरों के अंतर्गत उनकी नगर बस्तियां भी हैं ।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप पैरा (3) के अनुसार वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता :–

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की 1 तारीख से विकास अधिकारी को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे सारणी में वर्णित किए गए अनुसार होगा :–

सारणी

क्रम सं0 (1)	तैनाती के स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर) (2)	दर (3)
1.	1500 मीटर और उससे अधिक	अधिकतम 270/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5%

2.	1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम, मरकरा और ऐसे स्थान, जिन्हें यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है	अधिकतम 210/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2%
3.	750 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान, जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हैं और जहां केवल पहाड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता है ।	अधिकतम 210/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2%

VII. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :—(1) ऐसे पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को, जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने उसमें अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से या 1 अगस्त, 2002 से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं0	परीक्षा	तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता (प्रति मास)	
(1)	(2)	(3)	(4)
		पुनरीक्षित	अनुसूची-घ के अनुसार
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :—		
	(i) लाइसेंसिएट	115/- रुपए	48/- रुपए
	(ii) एसोसिएटशिप	325/- रुपए	144/- रुपए
	(iii) फैलोशिप	545/- रुपए	240/- रुपए
2.	बीमांकक संस्थान :		
	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	115/- रुपए	48/- रुपए
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान : निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :—		
	(i) इंटरमीडिएट परीक्षा	235/- रुपए	96/- रुपए
	(ii) अंतिम समूह क या समूह ख	400/- रुपए	180/- रुपए
	(iii) अंतिम समूह क और समूह ख	545/- रुपए	240/- रुपए :

परंतु तकनीकी अर्हता के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए पुनरीक्षित भत्ते को किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा । तथापि, भविष्य निधि, पेंशन और इस स्कीम के प्रकाशन के मास की अंतिम तारीख तक वर्ग 2 से वर्ग 1 काडर में प्रोन्नति पर नियतन के प्रयोजन के लिए उक्त पुनरीक्षित भत्ते की गणना प्रत्येक परीक्षा के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उपदर्शित अनुसूची घ के अनुसार रकम की सीमा तक की जाएगी । इसके अतिरिक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उपदर्शित उक्त

रकम की गणना, अनुसूची घ के अनुसार 22 जून, 2000 को उस पर काल्पनिक मंहगाई भत्ते के साथ, इस स्कीम के प्रकाशन के मास के अंतिम दिन तक उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए की जाएगी ।

(4) इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की एक तारीख से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए पुनरीक्षित भत्ते या उसके किसी भाग की गणना किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी सेवा या सेवांत प्रसुविधा के लिए नहीं की जाएगी ।

VIII. नियत वैयक्तिक भत्ता :—1 अगस्त, 2002 से कम्प्यूटरीकरण के कारण विकास अधिकारियों को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित किए गए अनुसार पुनरीक्षित हो जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं0	निम्नलिखित वेतनमान में विकास अधिकारी (1.11.1993 को यथा विद्यमान)	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता	(अनुसूची घ) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि भाग	01.11.1993 को अनुसूची घ के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि भाग पर मंहगाई भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		रुपए	रुपए	रुपए
1.	श्रेणी 1	540/-	230/-	18.68
2.	श्रेणी 2	400/-	130/-	12.74

टिप्पण : सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता किसी भत्ते या किसी सेवा/सेवांत प्रसुविधाओं के लिए अर्हित नहीं होगा । तथापि, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा उल्लिखित अनुसूची घ के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि भाग को भविष्य निधि और पेंशन के लिए वर्गीकृत किया जाएगा और उक्त वेतनवृद्धि के भाग को 1 नवंबर, 1993 को उस पर मंहगाई भत्ते के साथ उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए वर्गीकृत किया जाएगा ।

IX. पारादीप पत्तन भत्ता :—इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की एक तारीख से या नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पारादीप पत्तन में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को जब तक वह उस कार्यालय में तैनात रहता है, पचहत्तर रुपए प्रति मास के भत्ते का संदाय किया जाएगा । इस भत्ते को किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं माना जाएगा ।

9. उपाबंध 1 का संशोधन :— उक्त स्कीम के विशेष स्वैच्छया सेवानिवृत्ति पैकेज से संबंधित उपाबंध 1 के खंड 2 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 जनवरी, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" से वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और जहां कहीं लागू हो, अनुसूची घ की मद (viii) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि भाग सहित मूल वेतन का योग अभिप्रेत है ।"।

[फा. सं. 2(4)/2005-बोमा-III (वोल्यूम II)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का0आ0 327(अ) तारीख 29.4.1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का0आ0 761(अ), तारीख 1.12.1976, का0आ0 2444, तारीख 30.7.1977, का0आ0 1048, तारीख 29.3.1978, का0आ0 414(अ), तारीख 28.6.1978, का0आ0 3430, तारीख 16.11.1978, का0आ0 80(अ), तारीख 13.2.1987, का0आ0 781(अ), तारीख 22.8.1988, का0आ0 478(अ), तारीख 13.6.1990, का0आ0 766(अ), तारीख 9.10.1990, का0आ0 201(अ), तारीख 10.3.1992, का0आ0 82(अ), तारीख 2.2.1994, का0आ0 593(अ), तारीख 30.6.1995, का0आ0 522(अ), तारीख 18.7.1996, का0आ0 145(अ), तारीख 25.2.1997, का0आ0 730(अ), तारीख 27.8.1998, का0आ0 696(अ), तारीख 30.8.1999, का0आ0 588(अ), तारीख 22.6.2000, का0आ0 781(अ), तारीख 30.8.2000 और का0आ0 7(अ), तारीख 2.1.2003 द्वारा उनमें संशोधन किए गए ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से कंपनियों में विकास अधिकारियों के वेतनमानों और उनकी सेवा की शर्तों को पुनरीक्षित किए जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है । साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से तदनुसार संशोधित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कंपनियों के किसी विकास अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Finanacial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2008

S.O. 1499(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely:-

1. **Short title, commencement and application.**- (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) (Amendment) Scheme, 2008.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2003.

(3) This Scheme shall be applicable to all employees who were whole time employees in Development Officer cadre of the Company as on or after the 1st day of August, 2002:

Provided that the Development Officer, whose resignation had been accepted or whose service had been terminated during the period from the 1st day of August, 2002 till the date of publication of this Scheme in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of the revision under this Scheme:

Provided further that the Development Officer who had opted for Special Voluntary Retirement Package as per paragraph 15C of the General Insurance (Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 and has been relieved there-under prior to the date of this notification shall not be eligible for any benefit arising from this Scheme, other than re-calculation of ex-gratia admissible under clause 2 of Annexure I appended to paragraph 15C taking the revised salary under this Scheme as the basis and release of difference accordingly.

2. Amendment of paragraph 3.- In the General Insurance (Rationalization of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3,-

(a) in clause (2), for the word and letter "Schedule F", the word and letter "Schedule G" shall be substituted;

(b) in clause (13A), for the word "Corporation", occurring at the end, the word "Company" shall be substituted.

3. Substitution of paragraphs 7A, 7B and 7C.- For the paragraphs 7A, 7B and 7C of the said Scheme, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

7A. Scales of pay, method of fixation and payment of arrears. (1) On and from the 1st day of April, 2003, the basic pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule G.

(2) The basic pay of every Development Officer who was in service on 1st day of April, 2003 or was appointed thereafter, shall be fixed in accordance with item II of Schedule G, with effect from the 1st day of April, 2003 or the date of appointment, whichever is later.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with item II of Schedule G, shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 2003 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualification payable under Schedule G and that paid under Schedule F after deducting the Development Officer's compulsory contribution to Provident Fund.

7B. Equitable relief. Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st day of August, 2002 to 31st day of March, 2003 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation : For the purposes of this *paragraph* the term "equitable relief" means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule G and Schedule F, respectively with consequent adjustment of ex-gratia payment, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave, as the case may be.

7C. Absorption of Arrears and Equitable relief in cost. The arrears and equitable relief determined under paragraph 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate, subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance year 2008-2009 and 2009-2010 in such proportion as he may choose within 90 days of the publication of this Scheme:

Provided that where a Development Officer so exercises an option for absorption of a part of his cost for previous years in the performance year 2008-2009 and 2009-2010, a relaxation of 1% shall be allowed in the stipulated limits of Cost Ratio specified in item (iv) in sub-clause (c), in clause (17) in paragraph 3 to him for the performance year 2008-2009 .'.

4. Amendment of paragraph 13.- For sub-paragraph 3 of paragraph 13 the said Scheme, the following sub-paragraph shall be substituted, namely,

'(3) A Development Officer who has reached the maximum of the revised scale of pay as applicable to Development Officer Grade I, may subject to the conditions that he,

(a) fulfills the stipulated cost ratios under paragraphs 11,11A and 13 of the said Scheme, in the previous performance year ;

(b) is otherwise eligible for drawing normal grade increment, and

(c) is found to have a satisfactory work record,

be granted for every three completed years of continuous service after reaching such maximum a stagnation increment equal to the last increment drawn by him in the revised scale of pay, subject to a maximum of three such increments. Authority competent to grant such stagnation increments shall be any Officer not below the rank of Scale IV, specifically authorized in this behalf:

Provided that the third stagnation increment shall be granted on completion of three years from the date of receipt of second stagnation increment or from the first day of the month following the date of *publication* of this Scheme, whichever is later.

Explanation: For the purposes of this paragraph "continuous service" means a period of duty excluding period of extra ordinary leave.'.

5. Amendment of paragraph 16.- In paragraph 16 of the said Scheme, in the Explanation, after item (iii), the following item shall be inserted, namely,

"(iv) for the period commencing on the 1st day of August, 2002 as per Schedule 'G'.".

6. **Amendment of paragraph 21A .-** In paragraph 21A of the said Scheme,-

(a) in sub-paragraph (2), the following Explanation shall be inserted, namely,

"Explanation: The provisions of this sub-paragraph shall be applicable, *mutatis-mutendis*, for the purposes of considering grant of stagnation increments to a Development Officer (Administration), as per *sub-paragraph* (3) of *paragraph* 13.".

(b) in sub-paragraph (3), under clause (A), in item (ii), for the words "one hundred and twenty five rupees", the words "two hundred and fifty rupees" shall be substituted.

7. ***Amendment of paragraph 22.-*** In *paragraph* 22 of the said *Scheme,* for the word "Corporation", occurring at the end, the word "Company" shall be substituted.

8. **Inserting of Schedule 'G'.-** After Schedule F of the said Scheme, the following Schedule shall be inserted, namely,-

'SCHEDULE – G

[See paragraph 3, 7A, 7B , 11, 11A 13, 15B, 16 and 17]

I. **Scales of Pay (Basic Pay),-**

1. **Development Officer Grade I : Rs. 7650-485(8)-11730-500(9)-16230-525(2)-17280-540(4)-19440**
2. **Development Officer Grade II : Rs. 5400-350(3)-6450-400(4)-8050**

II. **A. Fixation of Basic Pay (in the scale of pay),-**

Stage No.	Development Officer Grade -I		Development Officer Grade -II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5225	7650	3580	5400
2.	5510	8335	3810	5750
3.	5795	8820	4040	6100
4.	6080	9305	4270	6450
5.	6365	9790	4530	6850
6.	6650	10275	4790	7250
7.	6950	10760	5050	7650
8.	7250	11245	5310	8050
9.	7550	11730		
10.	7900	12230		
11.	8250	12730		
12.	8600	13730		
13.	8950	14230		
14.	9310	14730		
15.	9670	15230		
16.	10030	15730		
17.	10390	16230		
18.	10750	16755		
19.	11110	17280		
20.	11470	17280		
21.	11830	17820		
22.	12190	18360		
23.	12550	18900		
24.	12910	19440		

B. Fixation of Basic Pay (at Stagnation Stages),-

Stage No.	Development Officer Grade-I	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	13270	19980
2.	13630	20520

Notes:-

1. The term "Existing" refers to the Basic Pay (including Stagnation Stages) as applicable in accordance with Schedule F.

2. The Basic Pay of the Development Officer, to whom this Scheme applies, shall be fixed as on the 1st day of August, 2002, at the corresponding stage in the respective revised scale of pay:

Provided that in respect of Development Officers Grade I, who have already been granted as on the 31st July, 2002, one or two Stagnations Increments in the existing scale of pay, their Basic Pay in the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first or second stages above the maximum of the revised scale of pay:

Provided further that the third Stagnation Increment shall be granted to the eligible Development Officers Grade I after completion of three years from the date of receipt of second Stagnation Increment or, from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later.

III. *Dearness* Allowance:

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under,-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

(b) Base : Index No.2328 in the series 1960 = 100

(c) Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 2328 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of Basic Pay.

(d) Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the current average figure) of the All India Consumer Price Index above 2328 points in the sequence 2328-2332-2336-2340 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence; the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in *dearness* allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation - For the purposes of this item, 'quarter' means a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December respectively.

IV. House Rent Allowance.- (1) The house rent allowance to Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Company shall be at the rates specified in the table below depending on the place of posting,-

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	10% of pay subject to maximum of Rs.1,600/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	8% of pay subject to maximum of Rs.1,350/- per month
3.	All other places	7% of pay subject to maximum of Rs.1,300/- per month

Notes: (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.
(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
(3) pay means Basic Pay and Stagnation Increments as per sub-paragraph (3) of paragraph 13.

(2) The Development Officer, who is allotted residential accommodation by the Company, shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Company from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance.-

With effect from the 1st day of August, 2002, the city compensatory allowance payable to the Development Officer shall be as specified in the Table, namely,-

Table

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate (3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	3% of pay subject to a maximum of Rs.400/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.360/- per month
3.	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to a maximum of Rs.300/- per month

Notes:
(1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.
(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
(3) pay means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraph (3) of paragraph 13.

VI. Hill Station Allowance.- With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, the hill station allowance payable to the Development Officer shall be as mentioned in the Table below :-

TABLE

Sl. No (1).	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level) (2)	Rate (3)
1.	1500 meters and over	2.5% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.270/- per month
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central Government or, as the case may be, the State Government for their employees	2% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.210/- per month
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over	2% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.210/- per month

2315 GI/08-4

VII. Allowance for Technical Qualifications.-

(1) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2002, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in *column* (3) of the said table, namely, -

TABLE

Sl.No.	Examination	Allowance for Technical Qualification (per month)	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Revised	As per Schedule - D
1	Insurance Institute of India Or Charlered Insurance Institute: On completion of:- (i)Licentiate (ii)Associateship (iii) Fellowship	 Rs.115/- Rs.325/- Rs.545/-	 Rs. 48/- Rs. 144/- Rs. 240/-
2	Institute of Actuaries:- On passing each subject	 Rs.115/-	 Rs. 48/-
3	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of:- (i) Intermediate Examination (ii) Final Group A or Group B (iii) Final Group A and Group B	 Rs.235/- Rs.400/- Rs.545/-	 Rs. 96/- Rs. 180/- Rs. 240/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(3) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the said Table shall not count for the purpose of any allowance. However, the said revised allowance to the extent of the amount as per Schedule –D indicated in column (4) of the said Table against each examination shall count for the purpose of Provident Fund, Pension and Fixation on promotion from Class II to Class I cadre till the last day of the month of *publication* of this *Scheme*. Further, the said amount indicated in the column (4) of the said Table along with notional dearness allowance thereon as on the 22nd June, 2000 as per the Schedule-D shall count for the purpose of Gratuity and Encashment of Earned Leave till the last day of the month of publication of this Scheme.

(4) With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, the revised allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the said Table, or any part thereof, shall not count for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

VIII. Fixed Personal Allowance.- With effect from the 1st day of August, 2002, the fixed personal allowance payable to the Development Officers on account of computerisation shall stand revised as

mentioned in column (3) of the Table below, namely,-

TABLE

Sl. No.	Development Officers in the Scale of Pay (as on 1.11.1993) of	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)	Increment portion of Fixed Personal Allowance as per the (Schedule-D)	Dearness Allowance on increment portion of Fixed Personal Allowance as per Schedule-D as on 01-11-1993
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Grade I	540	230	18.68
2.	Grade II	400	130	12.74

Note: The revised fixed personal allowance (FPA) as mentioned in column (3) of the Table shall not qualify for any Allowance or for any service/terminal benefits. However, the increment portion of FPA as per the Schedule-D as mentioned in column (4) of the said Table shall rank for Provident Fund and Pension, and the said increment portion along with Dearness Allowance thereon as on the 1st November, 1993, as shown in column (5) of the said Table shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

IX. Paradeep Port Allowance.-

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme or the date of appointment, whichever is later, every confirmed Development Officer posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rupees Seventy Five per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.'.

9. **Amendment of Annexure I.-** In Annexure I relating to Special Voluntary Retirement Package of the said Scheme, in clause 2, for the Explanation, the following Explanation shall, with effect from the 2nd January, 2003, be substituted, namely,-

"Explanation: For the purposes of this clause, "salary" means the aggregate of Basic Pay including Stagnation Increments, if any, Dearness Allowance and the increment portion of the Fixed Personal Allowance as per item VIII of the Schedule D, wherever applicable.".

[F. No. 2(4)/2005-Ins.-II(Vol.II)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

Note : The Principal scheme was published vide Notification No. S.O. 327(E) dt. 29-04-1976 subsequently amended by Notification No. S.O. 761(E) dated 01-12-1976, S.O. 2444 dt. 30-07-1977, S.O.1048 dt. 29-03-1978, S.O.414(E) dt. 28-06-1978, S.O.3430 dt. 16-11-1978, S.O.80(E) dt. 13-02-1987, S.O. 781(E) dt. 22-08-1988, S.O.478(E) dt. 13.06.1990, S.O. 766(E) dt. 09-10-1990, S.O. 201(E) dt. 10-03-1992, S.O.82(E) dt. 02-02-1994, S.O. 593(E) dt.30-06-1995, S.O.522(E) dt. 18-07-1996,S.O. 145(E) dt. 25.02.1997, S.O. 730 (E) dt. 27.8.1998,S.O.696 (E) dt. 30.8.1999 ,S.O. 588(E) dt. 22.6.2000, S.O.781(E) dt. 30.8.2000 and S.O.7(E) dt. 02-01-03.

***

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the Scales of Pay and conditions of service of Development Officers in the Companies with effect from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 is *amended accordingly* with effect from the dates as specified in the notification.

2. It is certified that no Development Officer of the Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.